

परिशिष्ट "क"

विधानसभा अता.प्र.क्र. 5034 दिनांक 23.03.2017 के भाग (ग) के
संबंध में जानकारी

- 1- रिट पिटी.क्र. 5227/10 दिनांक 20.04.2010 से
म.प्र. न्यायिक कर्मचारी संघ
विरुद्ध शासन
- 2- रिट पिटी.क्र. 16211/14 दिनांक 15.10.2014 से
म.प्र. न्यायिक कर्मचारी संघ
विरुद्ध शासन
- 3- रिट पिटी.क्र. 16597/14 दिनांक 28.10.2014 से
विनोद कुमार अग्रवाल विरुद्ध
शासन
- 4- रिट पिटी.क्र. 18310/14 दिनांक 24.11.2014 से
अशोक कुमार मिश्रा विरुद्ध
शासन
- 5- रिट पिटी.क्र. 6718/15 दिनांक 06.05.2015 से
म.प्र. न्यायिक कर्मचारी संघ
विरुद्ध शासन
- 6- रिट पिटी.क्र. 6236/16 दिनांक 31.03.2016 से
म.प्र. न्यायिक कर्मचारी संघ
विरुद्ध शासन

परिशिष्ट "ख"

विधानसभा अता.प्र.क्र. 5034 दिनांक 23.03.2017 के भाग (घ) के
संबंध में जानकारी

1. मा.उच्च न्यायालय का पत्र दिनांक 26.5.15:-

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा रिट पिटी. (सी) क्र. 1022/89 दिनांक 16.03.2015 में पारित निर्णय में दिये गये निर्देशों के अनुसार आवश्यक कार्यवाही करने का अनुरोध किया गया है।

2. मा.उच्च न्यायालय का पत्र दिनांक 10.7.15:-

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा रिट पिटी. (सी) क्र. 1022/89 दिनांक 16.03.2015 में पारित निर्णय दिनांक 16.03.2015 की प्रति प्रेषित कर आवश्यक कार्यवाही करने का अनुरोध किया है।

3. मा.उच्च न्यायालय का पत्र दिनांक 18.8.15:-

उच्च न्यायालय द्वारा शेट्टी वेतन आयोग की अनुशंसाओं के पालन में न्यसायिक कर्मचारियों को जो सुविधाएं अब तक प्रदान की गयी एवं जो सुविधाएं अब दी जाना है उसका विवरण प्रस्तुत किया गया।

4. मा.उच्च न्यायालय का पत्र दिनांक 16.10.15:-

उच्च न्यायालय द्वारा वित्तीय भार पत्रक उपलब्ध कराया गया।

5. मा.उच्च न्यायालय का पत्र दिनांक 18.11.15:-

उच्च न्यायालय द्वारा वित्तीय भार पत्रक उपलब्ध कराया गया।

6. विधि विभाग का पत्र दिनांक 18.1.16:-

प्रस्ताव के संबंध में वित्त विभाग द्वारा दिये गये मत से उच्च न्यायालय को अवगत कराया गया।

7. मा.उच्च न्यायालय का पत्र दिनांक 1.3.16

वित्त विभाग के मत के संबंध में उच्च न्यायालय द्वारा बिन्दूवार जानकारी उपलब्ध कराई गई।

8. विधि विभाग का पत्र दिनांक 31.3.16:-

वित्त विभाग द्वारा पुनः की गई पृच्छा एवं मत से उच्च न्यायालय को अवगत कराया गया।

9. मा.उच्च न्यायालय का पत्र दिनांक 7.4.16:-

उच्च न्यायालय द्वारा वित्त विभाग की पृच्छा अनुसार बिन्दूवार जानकारी उपलब्ध कराई गई।

10. मा.उच्च न्यायालय का पत्र दिनांक 12.4.16:-

उच्च न्यायालय द्वारा वित्तीय भार की जानकारी उपलब्ध कराई गई।
